अध्याय I प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बंध में

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020- 21 के लिए भारत सरकार के अधीन संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग और व्यय विभाग) और सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई), इन मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) सहित के वित्तीय लेनदेन के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इसमें मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कवर करने वाली अनियमितताओं के 13 उदाहरणात्मक मामले शामिल हैं जिनमें लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूली से संबंधित एक मामला भी शामिल है।

प्रतिवेदन को दो खंडों **खंड क** और **खंड ख** में व्यवस्थित किया गया है। **खंड क** में दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा मुद्दे शामिल हैं। जबकि **खंड ख** में इन मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय इस प्रकार हैं:

अध्याय I इन मंत्रालयों के अधीन मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं की रूपरेखा और उनकी प्राप्ति और व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। इसमें इन मंत्रालयों/विभागों और मंत्रालयों के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी शामिल है।

खंड क के तहत अध्याय II से IV में एम ओ सी और एम ई आई टी वाई के तहत डी ओ टी, डी ओ पी की लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष/टिप्पणियां शामिल हैं।

खंड ख के तहत अध्याय V से VII में एम ओ सी, एम ई आई टी वाई और एम ओ एफ के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण टिप्पणियां शामिल हैं।

1.2 सी ए जी द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के प्रकार

सी ए जी मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करता है, नामतः वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा। वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों के समुच्चय पर लेखापरीक्षा राय की अभिव्यक्ति है, जबकि निष्पादन लेखापरीक्षा इस बात की जांच करने का प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के संबंध में कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा भारत के संविधान

के प्रावधानों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और विभिन्न आदेशों के अनुपालन की जांच करने और प्रतिवेदित करने के लिए लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय, प्राप्तियों के साथ-साथ संपत्ति और देनदारियों से संबंधित लेनदेन की जांच को संदर्भित करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य और विवेक के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों की जांच भी शामिल है। लेखापरीक्षा अनुमोदित सी ए जी के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर आयोजित की जाती है।ये मानक उन मानदंडों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के संचालन में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और गैर-अनुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों में मौजूद कमजोरियों और लेखा परीक्षित संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण पर प्रतिवेदन करने में आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने में सक्षम बनाने की उम्मीद है जिससे संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बेहतर शासन में योगदान होगा।

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को प्रतिवेदन करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से लिया गया है। सी ए जी (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13 और 17 के तहत सी ए जी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या बनाए गए कानून के तहत स्थापित और सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले निकायों को अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत लेखापरीक्षा के लिए वैधानिक रूप से लिया जाता है। अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जनहित में अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी ए बी), जिन्हें भारत की संचित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सी ए जी द्वारा की जाती है।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अलावा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, गबन के पिछले उदाहरण, दुर्विनियोग, गबन आदि के साथ-साथ पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, जहां आवश्यक हो, विवेचित अनुपालन के लिए कार्रवाई के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटारा किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव से प्रतिक्रिया प्राप्त करने

के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में आगे संसाधित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद/ संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैं। महानिदेशक, लेखापरीक्षा (वित्त और संचार), दिल्ली का कार्यालय सी एंड ए जी का क्षेत्रीय कार्यालय है जो सी ए जी के कार्यालय के समग्र पर्यवेक्षण के तहत पैरा 1.1 में उल्लिखित मंत्रालयों/ विभागों/ संस्थाओं की लेखापरीक्षा की योजना और संचालन करता है।

1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय **चित्र 1.1** में दिया गया है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पांच नागरिक अनुदान और एक गैर-नागरिक अनुदान (डी ओ पी) शामिल हैं।

चित्र 1.1: मंत्रालय/ विभागवार अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)

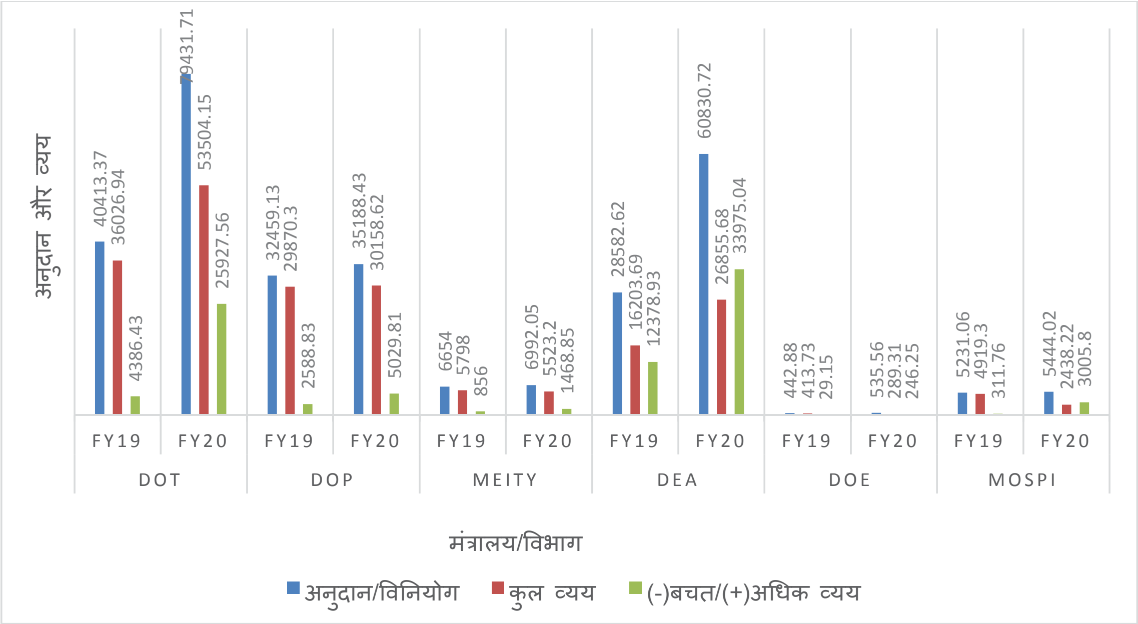

(स्रोतः वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए विभागों के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षित संस्थाओं की संक्षिप्त रूपरेखा पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.6 संचार मंत्रालय

1.6.1 दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। विभाग आवृत्ति का आवंटन भी करता है और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबंधन करता है। यह बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण का

अनुश्रवण करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न दूरसंचार परिमंडलों में आधारभूत और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करता है।

1.6.1.1 महत्वपूर्ण दूरसंचार विभाग इकाइयाँ

दूरसंचार विभाग में दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी (टी ई आर एम) प्रकोष्ठों, संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए), वायरलेस योजना और समन्वय (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टी ई सी), बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यू एम ओ), नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एन टी आई पी आर आई टी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस (एन आई सी एफ) और टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी - डी ओ टी), जो एक अनुसंधान और विकास इकाई है, शामिल हैं।

1.6.1.2 दूरसंचार विभाग के अनुदान और व्यय

वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान डी ओ टी के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति **चित्र 1.2** में दी गई है।

चित्र 1.2: डी ओ टी का राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)

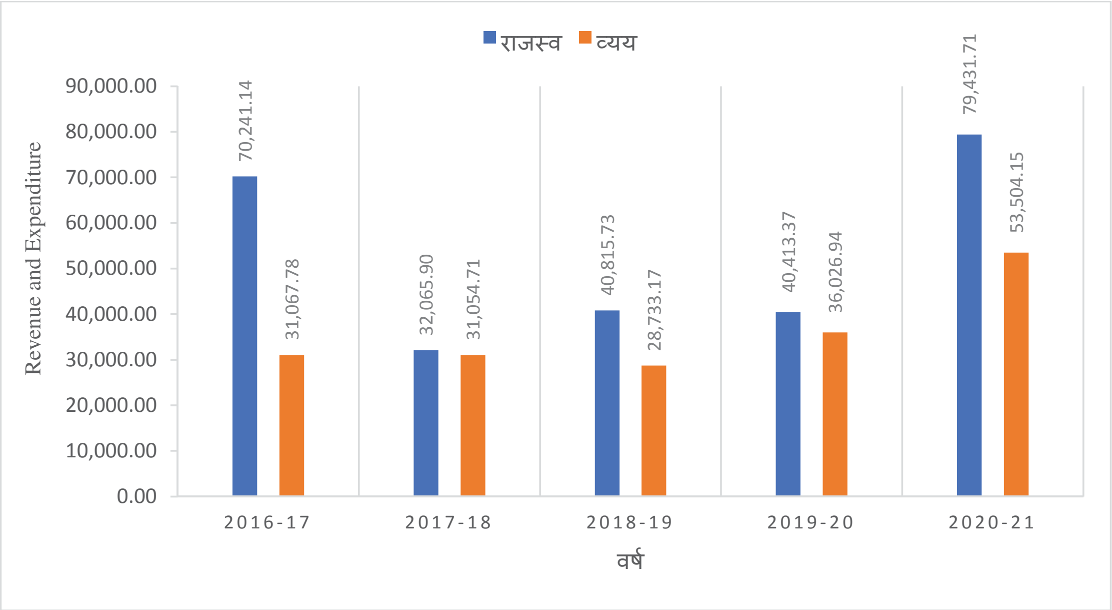

(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग और वित्त लेखे)

2020-21 में, डी ओ टी का कुल अनुदान ₹79,431.71 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 97 प्रतिशत अधिक था। यह मुख्य रूप से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्राप्त अनुदान, बी एस एन एल के साथ-साथ एम टी एन एल कर्मचारियों की वी आर एस योजना और बी एस एन एल और एम टी एन एल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए

अनुदान के कारण था। जैसे कि 2020-21 में डी ओ टी का व्यय ₹53,504.15 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक था।

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व हैं। इन्हें लेखों में "गैर कर राजस्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का विवरण **चित्र 1.3** में दिया गया है।

चित्र 1.3: 2016-21 के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

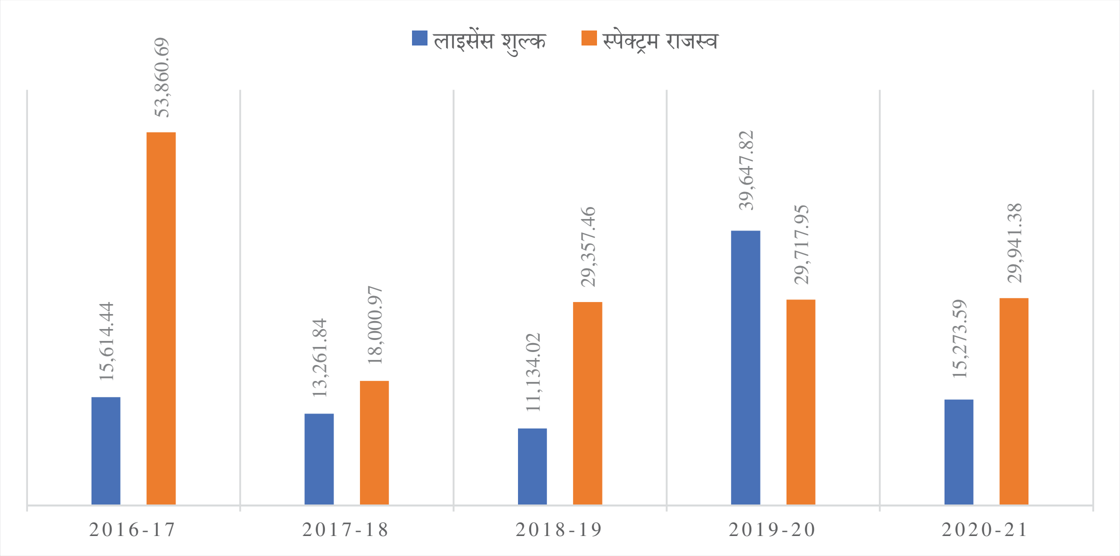

(स्रोतः वर्ष 2016-21 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग लेखे)

स्पेक्ट्रम राजस्व का मुख्य घटक स्पेक्ट्रम की नीलामी से एकत्र की गई राशि और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम राजस्व में उतार-चढ़ाव होता रहा है, जो 2017-18 में ₹18,000.97 करोड़ से लेकर वर्ष 2016-17 के दौरान ₹53,860.69 करोड़ के बीच स्पेक्ट्रम नीलामी प्राप्तियों के संग्रह, नीलामी अग्रिम प्राप्तियों और नीलामी स्थगित रसीदें होने के कारण रहा है। 2020-21 मे स्पेक्ट्रम राजस्व ₹29,941.38 करोड़ था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24 अक्तूबर 2019 के अनुसरण में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त एक वर्ष में ₹29,256.31 करोड़ एलएफ राशि के थोक संग्रह के कारण लाइसेंस शुल्क ₹39,647.82 करोड़ संग्रहीत किया गया था, जबकि 2020-21 में संग्रहीत लाइसेंस शुल्क ₹15,273.59 करोड़ था।

1.6.1.3 दूरसंचार क्षेत्र की संक्षिप्त रूपरेखा

दूरसंचार देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। पिछले दशक के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 119.50 करोड़ से बढ़कर 120.12 करोड़ हो गई, जिसमें ग्रामीण ग्राहकों की संख्या 44.74 प्रतिशत और शहरी ग्राहकों की संख्या 55.26 प्रतिशत थी। दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए समग्र विकास की स्थिति **चित्र 1.4** में दी गई है।

चित्र 1.4: 2016-2021 के दौरान ग्राहकों की वृद्धि

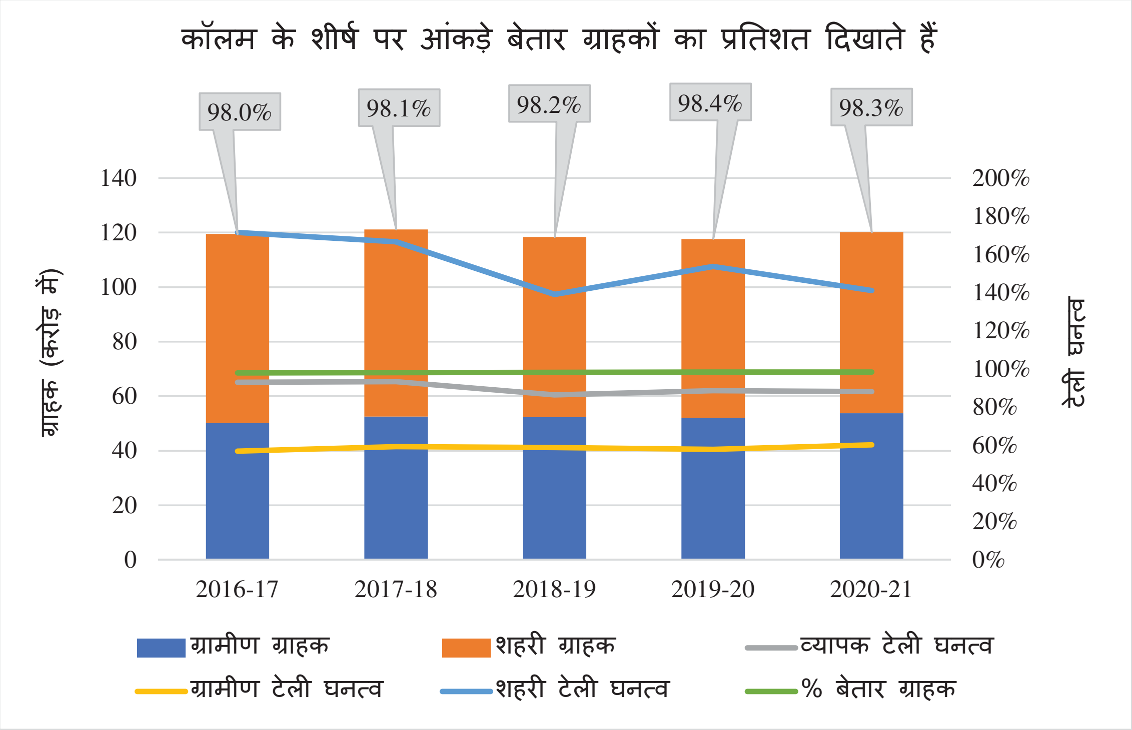

(स्रोतः ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

ग्राहक आधार के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि को **चित्र 1.5** में दर्शाया गया है।

चित्र 1.5: ग्राहक आधार में वृद्धि - निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ग्राहकों की संख्या करोड़ में)

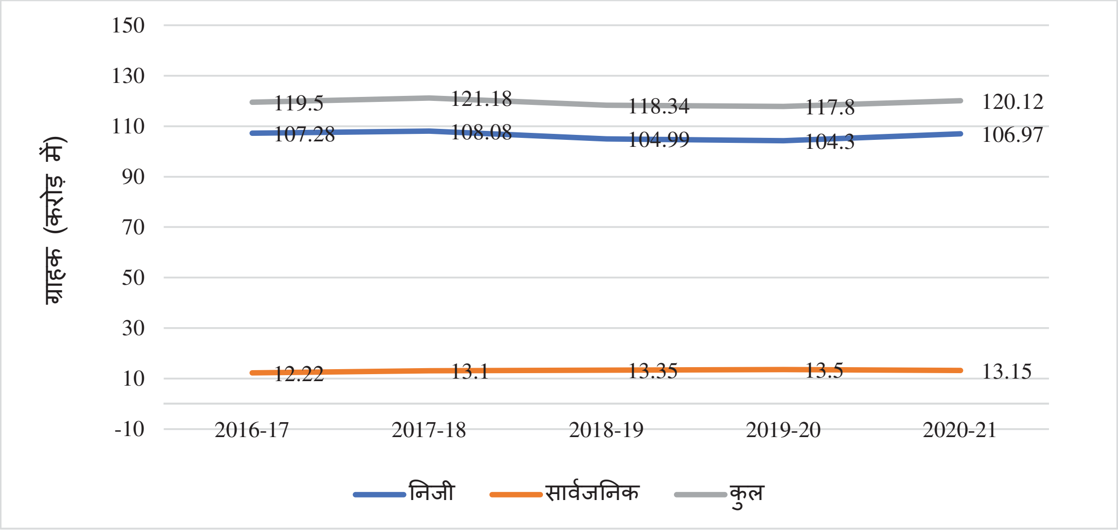

(स्रोत: ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

चित्र 1.5 से पता चलता है कि हालांकि 31 मार्च 2021 को समाप्त पांच साल की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहक आधार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, निजी दूरसंचार कंपनियों के पास दूरसंचार क्षेत्र में लगभग 89 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है।

1.6.1.4 2020-21 के दौरान दूरसंचार राजस्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं

नई दूरसंचार नीति-1999 ने राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को "निश्चित" लाइसेंस शुल्क के स्थान पर लाइसेंस शुल्क के रूप में "अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का प्रतिशत" का भुगतान करना आवश्यक था। विभिन्न न्यायालयों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सकल राजस्व/ समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा पर विवाद किया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से जी आर/ ए जी आर की सरकार की परिभाषा को बरकरार रखते हुए अक्टूबर 2019 में अपना निर्णय दिया था। परिणामस्वरूप, दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए निर्धारणों के आधार पर, टी एस पी को बकाया देय राशि का भुगतान करना पड़ा। टी एस पी ने बकाया देय राशि को फिर से चुनौती दी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 के अपने फैसले में टी एस पी की बकाया राशि की मात्रा निर्धारित की और उन्हें सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। टी एस पी द्वारा बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक शुरू होने वाले 10 वर्षों की एक विंडो प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2020 के फैसले के अनुसार कुछ प्रमुख टी एस पी की 2016-17 तक बकाया राशि लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, ब्याज और जुर्माना **तालिका 1.1** के अनुसार हैं:

तालिका 1.1: प्रमुख टी एस पी विरुद्ध एल एफ और एस यू सी की बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दूर संचार विभाग की कुल मांग	प्राप्त भुगतान (मार्च 2020 तक)	शेष राशि
1	भारती एयरटेल समूह	43,980	18,004	25,876
2	वोडाफोन समूह की कंपनियाँ	58,254	3,500	54,754
3	टाटा समूह की कंपनियाँ	16,798	4,197	12,601
कुल बकाया राशि				**93,231**

(स्रोत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सितंबर 2020)

डी ओ टी ने आम तौर पर मुकदमे के तहत बताए गए आई एस पी लाइसेंसों को छोड़कर वर्ष 2017-18 तक सभी प्रमुख टी एस पी के लिए लाइसेंस शुल्क का आकलन पूरा कर लिया है। वर्ष 2018-19 के बाद से डी ओ टी के तहत विभिन्न सी सी ए से विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में निर्धारण प्रगति पर बताया गया था।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को संबोधित करते हुए दूरसंचार सुधार पैकेज, 2021 को मंजूरी दी। प्रमुख दूरसंचार सुधारों में से एक 'समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) सुधार' था, जिसके तहत मोटे तौर पर टी एस पी के गैर-दूरसंचार राजस्व को अक्टूबर 2021 से राजस्व हिस्सेदारी के लिए संभावित रूप से नहीं माना जाना था।

इस प्रकार, तनावग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र को राहत देने के कथित इरादे से राजस्व हिस्सेदारी से संबंधित विवादों का समाधान किया गया है।

इसके अलावा, टी एस पी की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने (सितंबर 2021) ए जी आर फैसले से उत्पन्न होने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण बकाया राशि के वार्षिक भुगतान में चार साल तक की अधिस्थगन/ आस्थगन को मंजूरी दी; पिछली नीलामी (2021 की नीलामी को छोड़कर) में चार साल तक खरीदे गए स्पेक्ट्रम का देय भुगतान; टी एस पी को इक्विटी के माध्यम से भुगतान के उक्त आस्थगन के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज देयता राशि का भुगतान करने और अधिस्थगन/ आस्थगन अवधि के अंत में इक्विटी के माध्यम से उक्त आस्थगित भुगतान से संबंधित बकाया राशि को परिवर्तित करने का विकल्प दिया। वित्त मंत्रालय द्वारा इसके लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाना था।

उपरोक्त उपाय उनकी तरलता और नकदी प्रवाह की कमी को कम करके राहत प्रदान करने के लिए थे। इससे विभिन्न घरेलू बैंकों को दिए गए ऋणों के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में पर्याप्त जोखिम रखने में मदद मिलेगी।

एक अन्य प्रमुख दूरसंचार सुधार टी एस पी द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंक गारंटी का युक्तिकरण था। सरकार ने लाइसेंसधारियों द्वारा बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को मौजूदा आवश्यकता के 20 प्रतिशत तक कम कर दिया। दूरसंचार सुधार 2021 के अनुरूप, संचार लेखा के प्रधान नियंत्रक, दिल्ली ने बैंक गारंटी की समीक्षा की और यू एल-एक्सेस सेवा, आई एल डी (अखिल भारतीय), एन एल डी (अखिल भारतीय), आई एस पी, वीसैट (एल एफ), एक्सेस (एस यू सी) और वीसैट (एस यू सी) के तहत विभिन्न लाइसेंस रखने वाले टी एस पी को ₹1,099.15 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की।

इस प्रकार डी ओ टी में सरकार ने टी एस पी के सामने आने वाली प्रमुख वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया था, जिससे भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

1.6.1.5 क्षेत्र का नियामक ढांचा

अ. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्कों का निर्धारण/ संशोधन शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार में निहित था। ट्राई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता हो और सभी को तकनीकी लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाता हो। अधिनियम के तहत, ट्राई के लिए अनिवार्य है:

- ❖ दूरसंचार लाइसेंसों के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ❖ सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- ❖ टैरिफ नीति निर्दिष्ट करना और नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए शर्तों के साथ-साथ सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियम और शर्तों की सिफारिश करना;
- ❖ टैरिफ नीति, अंत:संबंध के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं की निगरानी से संबंधित मुद्दों पर विचार और निर्णय;
- ❖ कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांत;
- ❖ विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए जनता के लिए मुफ्त विकल्प और समान सुगमता;
- ❖ विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए बाजार के विकास और विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्षों का समाधान;
- ❖ मौजूदा नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता; तथा

- ❖ सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत के लिए मंचों का विकास और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत

ट्राई भी प्रसारण और केबल सेवाओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मामले में या तो स्वप्रेरणा से या लाइसेंसकर्ता यानी डी ओ टी, एम ओ सी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) के संदर्भ पर सिफारिशें करता है। यह निर्देश जारी करने से पहले हितधारकों के साथ चर्चा के लिए संबंधित विषयों पर परामर्श पत्र प्रकाशित करता है।

ट्राई ने वर्ष के दौरान प्राप्त ₹110.84 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹89.78 करोड़ की राशि का उपयोग किया है। ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध उनके वार्षिक प्रतिवेदन में ट्राई के कार्यों और गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ब. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी एस ए टी) की स्थापना 24 जनवरी 2000 से ट्राई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक लाइसेंसकर्ता और एक लाइसेंसधारी के बीच, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और उनका निपटान करने के लिए की गई थी।

वर्ष 2021 तक, टी डी एस ए टी को याचिकाओं, समीक्षा आवेदनों, ट्राई/ उच्च न्यायालय से स्थानांतरण आदि के रूप में कुल 11,175 मामले प्राप्त हुए थे। उनमें से 7,251 मामलों का निपटारा किया गया था और मार्च 2021 को 3,924 मामले टी डी एस ए टी के पास विभिन्न चरणों में लंबित थे।

1.6.1.6 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू एस ओ एफ)

ग्रामीण टेलीफोनी को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार (जी ओ आई) ने 01 अप्रैल 2002 से संसद के एक अधिनियम द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू एस ओ एफ) का गठन किया। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यू एस ओ) को पूरा करने के लिए संसाधनों को यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) के माध्यम से विभिन्न लाइसेंसों के तहत सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व के प्रतिशत के रूप में जुटाया जाना था। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 2003 के पैरा 9ब के अनुसार, यू एस ओ एफ के लिए प्राप्त राशि को सबसे पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और केंद्र सरकार, यदि संसद इस संबंध में विनियोग द्वारा ऐसा प्रावधान करती है, तो इस तरह की आय को यू एस ओ की बैठक के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने के लिए समय-समय पर निधि में जमा कर सकती है।

पिछले पांच वर्षों के लिए निधि से प्राप्त प्राप्तियों और व्यय का विवरण **तालिका 1.2** के अनुसार है।

तालिका 1.2: यू एस ओ एफ से प्राप्त प्राप्तियों और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रसीद (यूनिवर्सल एक्सेस लेवी)	यू एस ओ कोष में अंतरण		कोष में वास्तविक अंतरण	वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में लघु अंतरण	निधि से वास्तविक संवितरण	यू जी एफ ए के अनुसार निधि में शेष राशि
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(5)	(5) के समान	
2016-17	9,763.87	2,755.00	7,625.79	7,225.79	2,538.08	7,225.79	-1.24
2017-18	7,019.26	11,636.18	7,000.00	7,000.00	19.26	7,000.00	0.00
2018-19	6,911.50	10,000.00	5,000.00	4,788.22	2,123.28	4,788.22	0.00
2019-20	7,961.53	8,350.00	3,000.00	2,926.00	5,035.53	2,926.00	0.00
2020-21	9,471.23	8,000.00	7,200.00	7,200.00	2,271.23	7,200.00	0.00

स्रोत: वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 21 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.2 से पता चलता है कि नामित निधि में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) का हस्तांतरण वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में कम था और 2019-20 के दौरान यू ए एल का लघु हस्तांतरण बहुत अधिक था।

1.6.1.7 दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

दूरसंचार विभाग के तहत कुल 11 सार्वजनिक उपक्रम हैं। 31 मार्च 2021 के अंत तक इन सार्वजनिक उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश ₹6,314.28 करोड़ था (**परिशिष्ट I** के अनुसार विवरण)। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल)

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला, अक्टूबर 2000 में गठित, दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश भर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक प्रौद्योगिकी-उन्मुख कंपनी है और विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं जैसे लैंडलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, स्थानीय लूप में वायरलेस (डब्ल्यू एल एल) और मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापीं व्यवस्था (जी एस एम), ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। मार्च 2021 के अंत में कंपनी में सरकारी निवेश ₹5,000.00 करोड़ था और वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व और हानि क्रमशः ₹18,594.81 करोड़ और ₹7,441.12 करोड़ थी। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, बी एस एन एल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की, जिसने मार्च 2021 के अंत तक कंपनी की मानवशक्ति को लगभग 53 प्रतिशत कम कर दिया। पिछले तीन वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन **चित्र 1.6** में दिया गया है।

चित्र 1.6: पिछले तीन वर्षों के दौरान बी एस एन एल का प्रदर्शन

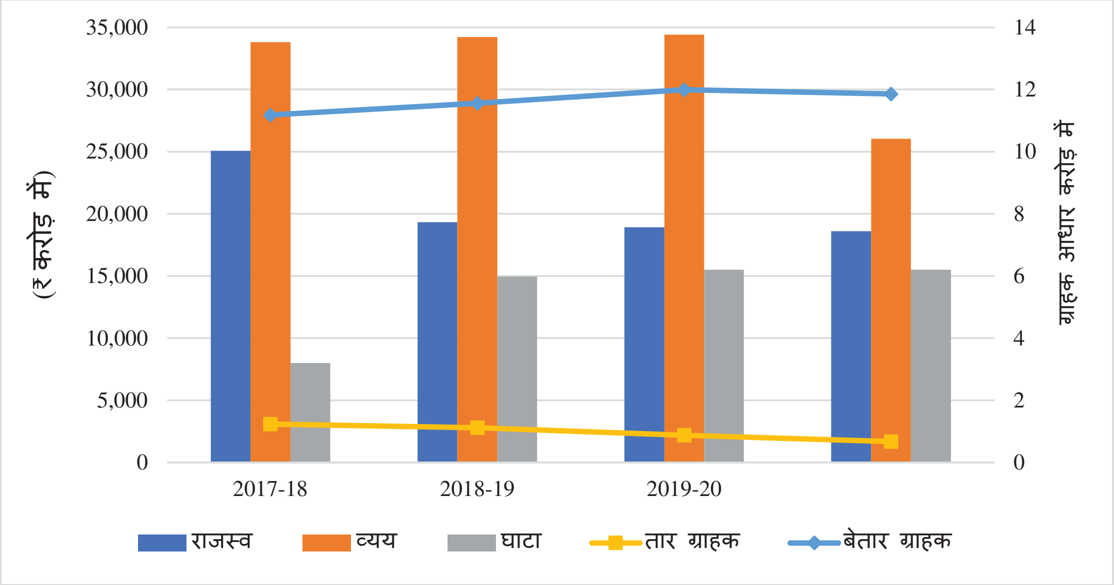

(स्रोत: बी एस एन एल का 2021 का वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

जैसा कि **चित्र 1.6** से स्पष्ट है, पिछले तीन वर्षों में ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि हुई है, हालांकि, कंपनी के राजस्व में लगातार गिरावट देखी गई है। कंपनी ग्राहक आधार में वृद्धि को राजस्व में बदलने में सक्षम नहीं हुई है। 4जी सेवाओं के लिए कंपनी को स्पेक्ट्रम देने का सरकार का फैसला 2020-21 के दौरान भी अमल में नहीं आया।

ii. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की स्थापना 1986 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी और यह दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवाओं और जी एस एम मोबाइल सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है। एम टी एन एल अलग-अलग गैर-अनन्य लाइसेंस समझौते के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान करता है। यह ब्रॉडबैंड और 3जी सेवाएं भी प्रदान करता है। सरकार ने 1994 में बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में 20 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किया। एम टी एन एल एक सूचीबद्ध कंपनी है और मार्च 2021 के अंत में, ₹354.38 करोड़ मूल्य के 56.25 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं और शेष निजी शेयरधारकों के पास हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,788.41 करोड़ था और उसे ₹2,461.79 करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले चार वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन **तालिका 1.7** में दिया गया है।

चित्र 1.7: पिछले चार वर्षों के दौरान एम टी एन एल का प्रदर्शन

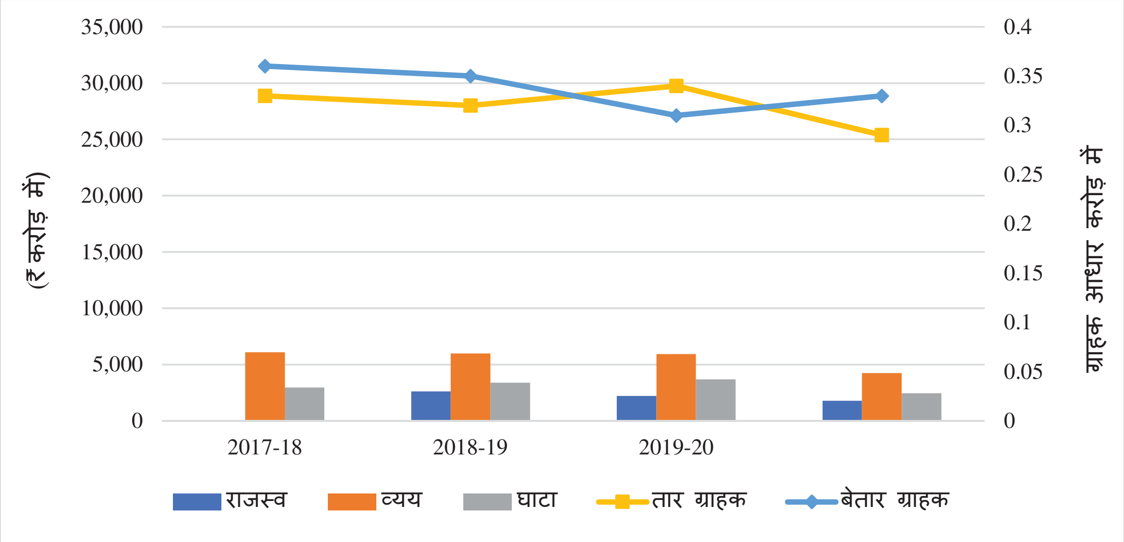

(स्रोत: 2021 के लिए एम टी एन एल की वार्षिक रिपोर्ट और टी.आर.ए.आई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

कंपनी के ग्राहक आधार और राजस्व में लगातार गिरावट आ रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल (2019-20) ने कर्मचारी लागत को कम करके, 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, सॉवरेन गारंटी ऋण-पत्रों को बढ़ाकर ऋण पुनर्गठन, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण आदि द्वारा "बी एस एन एल और एम टी एन एल के लिए पुनरुद्धार योजना" को भी मंजूरी दी थी। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की थी जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की लागत में कमी आई थी। इसने कंपनी के लिए केंद्र सरकार की पुनरुद्धार योजना के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में ₹6,500 करोड़ के ऋण-पत्र जारी करके भी धन जुटाया।

iii. मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) का गठन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 2000 में पनडुब्बी केबल परियोजना की स्थापना और आई टी समाधान प्रदान करने के लिए किया गया था। कंपनी का कुल राजस्व ₹0.27 करोड़ था और इसने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹0.14 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

iv. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई टी आई)

आई टी आई दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आई टी आई ने 1948 में बेंगलुरु में अपना संचालन शुरू किया, जिसे जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली और मनकापुर और केरल के पलक्कड़ में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करके अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। 31 मार्च 2021 को सरकार के पास कंपनी के 90 प्रतिशत शेयर थे,

जिनका मूल्य ₹840.70 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹2,523.56 करोड़ और ₹11.20 करोड़ था।

v. दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)

दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल), पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1978 में स्थापित किया गया था, ताकि उचित विपणन रणनीतियों का विकास करके और अत्याधुनिक तकनीक हासिल करके विदेशी और घरेलू बाजारों में अपने संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। मार्च 2021 के अंत में कंपनी में सरकार का निवेश ₹59.20 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹1,765.80 करोड़ और ₹52.76 करोड़ था।

vi. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी), जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, को 2012 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) को निष्पादित करने के लिए निगमित किया गया था। बी बी एन एल को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पी एस यू नामतः बी एस एन एल, रेलटेल और पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबर का उपयोग करते हुए और ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच अनुयोजकता अंतर को पाटने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, वृद्धिशील फाइबर बिछाते हुए, जो पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, देश के लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹60.00 करोड़ था। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹933.63 करोड़ का राजस्व और ₹1.44 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

1.6.2 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारत का डाक नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है जिसमें 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं और यह देश सुदूर कोने तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि मेल का प्रसंस्करण, संचरण और वितरण है, यह धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ-साथ बीमा सहित विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं भी करता है। यह सैन्य और रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन, कोयला खदान कर्मचारियों और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के वितरण में भी लगा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम जी एन आर ई जी एस) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत सामाजिक लाभ भुगतान के वितरण की जिम्मेदारी भी डाक विभाग को दी गई है।

नागरिकों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने और नागरिकों के लाभ के लिए व्यापक क्षेत्र कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के रूप में डाकघर के नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए विभाग ने विदेश मंत्रालय के साथ करार किया है। सरकार द्वारा डाकघरों में आधार नामांकन सह अद्यतन केंद्र स्थापित करने के लिए भी विभाग को अनिवार्य किया गया है।

व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने और विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए, विभाग ने कई प्रीमियम सेवाएं जैसे स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट, लॉजिस्टिक्स पोस्ट आदि और ई-उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला जैसे ई-पोस्ट, ई-पेमेंट, ई-पोस्ट ऑफिस आदि शुरू की है।

विभाग ने उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुयोजकता के माध्यम से परिचालन दक्षता को बदलने और डाक इकाइयों की डिलीवरी सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से आई टी आधुनिकीकरण परियोजना को लागू किया है। इसने 1.55 लाख डाकघरों को जोड़ा है, जिनमें से 90 प्रतिशत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इस प्रकार विभाग के सभी प्रकार के जवाबदेह मेल, पार्सल और अन्य संचालन/ सेवाओं की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को सक्षम बनाता है।

1.6.2.1 वित्तीय निष्पादन

विभाग की आय 'राजस्व प्राप्तियों' और 'वसूली[1]' के रूप में होती है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां, वसूली और राजस्व व्यय **चित्र 1.8** में दिखाया गया है।

चित्र 1.8: डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

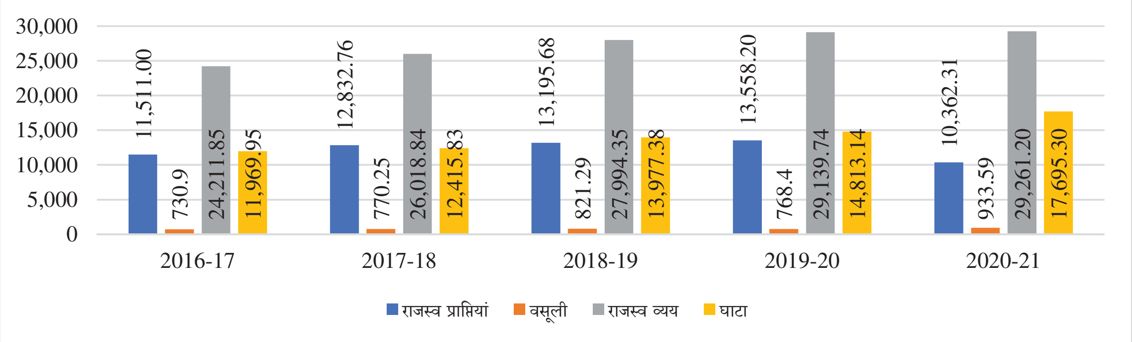

(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए डाक विभाग के वित्त और विनियोग लेखे)

राजस्व प्राप्तियां 2016-17 में ₹11,511.00 करोड़ से थोड़ा कम होकर 2020-21 में ₹10,362.31 करोड़ हो गईं। यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ वसूली में लगातार वृद्धि हुई है, राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण घाटा बढ़ता रहा जो 2019-20

---

[1] अन्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों को प्रदान की गई सेवाओं पर वसूली का प्रतिनिधित्व करता है

में ₹29,139.74 करोड़ से बढ़कर ₹29,261.20 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा कार्य व्यय जैसे वेतन, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं और अन्य शुल्कों आदि में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया है।

1.6.2.2 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा (पी एल आई) देश का सबसे पुराना जीवन बीमाकर्ता है, जिसे 01 फरवरी 1884 को डाक कर्मचारियों के लाभ के लिए एक कल्याणकारी योजना के रूप में पेश किया गया था और बाद में वर्ष 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1894 में, पी एल आई ने पी एंड टी विभाग की महिला कर्मचारियों को बीमा कवर दिया, जब कोई अन्य बीमा कंपनी महिला जीवन को कवर नहीं करती थी।

अब इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, न्यूनतम 10 प्रतिशत सरकारी/पी एस यू हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यमों, क्रेडिट सहकारी समितियों आदि के कर्मचारी शामिल हैं। पी एल आई रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बीमा कवर भी प्रदान करता है।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) 24 मार्च 1995 को भारत के ग्रामीण लोगों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर, श्री आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आधिकारिक समिति की सिफारिशों पर शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य रूप से ग्रामीण जनता को बीमा कवर प्रदान करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों और महिला श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और ग्रामीण आबादी के बीच बीमा जागरूकता फैलाना है। 2014-21 की अवधि के दौरान पी एल आई और आर पी एल आई व्यवसाय का रुझान **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: डाक विभाग में पी एल आई और आर पी एल आई व्यवसाय का रुझान

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	चालू पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)	चालू पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	52,42,257	1,09,106.93	1,52,45,387	82,822.26
2015-16	49,30,838	1,09,982.10	1,49,15,652	81,733.73
2016-17	46,80,013	1,13,084.81	1,46,84,096	83,983.47
2017-18	43,59,855	1,16,499.40	1,36,61,694	80,811.39
2018-19	39,33,973	1,17,045.90	1,30,80,337	80,568.72
2019-20	नए व्यवसायों के छोटे छोटे भागों/ कमियों आदि से संबंधित सांख्यिकीय डेटा प्राप्त नहीं किया जाता है ।			
2020-21	45,45,642	उपलब्ध नहीं है*	51,10,828	उपलब्ध नहीं है*

**कुल बीमित राशि प्रदान नहीं की गई है।*

2014-21 की अवधि के दौरान जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4: डाक विभाग में पी एल आई और आर पी एल आई के सम्बंध में जारी की गई नई पॉलिसियां

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	3,24,022	14,276.92	4,77,360	4,652.36
2015-16	1,98,606	9,644.98	2,58,225	2,668.91
2016-17	2,13,323	11,096.68	3,75,134	6,850.46
2017-18	2,43,654	13,305.73	5,23,899	7,298.29
2018-19	2,89,908	17,094.44	7,72,650	9,875.79
2019-20	नए व्यवसायों के छोटे छोटे भागों/ कमियों आदि से संबंधित सांख्यिकीय डेटा प्राप्त नहीं किया जाता है।			
2020-21	2,85,032	18,707.04	7,09,344	10,673.34

(स्रोत: वर्ष 2014-21 के लिए विनियोग लेखे))

उपरोक्त तालिकाओं से पता चलता है कि यद्यपि पी एल आई के साथ-साथ आर पी एल आई के तहत प्रत्येक वर्ष जारी की जा रही पॉलिसियों की संख्या के साथ-साथ इन पॉलिसियों के लिए बीमित राशि ने 2018-19 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है, जारी पॉलिसियों की संख्या में 2020-21 में कमी आई है।

1.6.2.3 डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डाक विभाग के पास अगस्त 2016 में निगमित, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नामक केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम था।

i. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी)

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी) को 17 अगस्त 2016 को डी ओ पी के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार से 100 प्रतिशत इक्विटी थी। बैंक की दो प्रायोगिक शाखाएं 30 जनवरी 2017 को झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ में रायपुर में शुरू की गईं थीं और 01 सितंबर 2018 को अखिल भारतीय परिचालन शुरू किये गये थे। आई पी पी बी बचत और चालू खातों जैसे एक लाख तक के एक शेष राशि की मांग जमा, संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच डिजिटल रूप से सक्षम भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रस्तवित करता है और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड हाउस, पेंशन प्रदाताओं, बैंकों, अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण संगठन, आदि के साथ साझेदारी में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, क्रेडिट उत्पाद और विदेशी मुद्रा जैसी तृतीय पक्ष वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करता है।

31 मार्च 2021 के अंत तक इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार का कुल पूंजी निवेश ₹1,255.00 करोड़ था। कंपनी का कुल राजस्व ₹213.13 करोड़ था और 31 मार्च 2021 को

समाप्त अवधि के दौरान उसे ₹320.54 करोड़ का नुकसान हुआ। आई पी पी बी ने 31 मार्च 2021 तक ₹400 करोड़ के कुल स्वीकृत अनुदानों में से ₹389.50 करोड़ की राशि का अनुदान उपयोग किया था (**परिशिष्ट I** के अनुसार विवरण)

1.7 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के अलावा अन्य सभी मामलों) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। एम ई आई टी वाई का उद्देश्य एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज में परिवर्तन के इंजन के रूप में भारत का ई-विकास है।

एम ई आई टी वाई के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए, या तो सीधे या इसके अधिकार क्षेत्र में इसके उत्तरदायित्व केंद्रों (संगठन/ संस्थान) के माध्यम से योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। प्रौद्योगिकी को मजबूत और अत्याधुनिक बनाने के लिए अकादमिक और निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग भी मांगा गया है।

एम ई आई टी वाई भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल विभाजन को पाटने, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, एम ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एम ई आई टी वाई द्वारा किए गए व्यय की तुलना में प्राप्त अनुदान **चित्र 1.9** में दिया गया है।

चित्र 1.9: 2016-21 के दौरान एम ई आई टी वाई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)

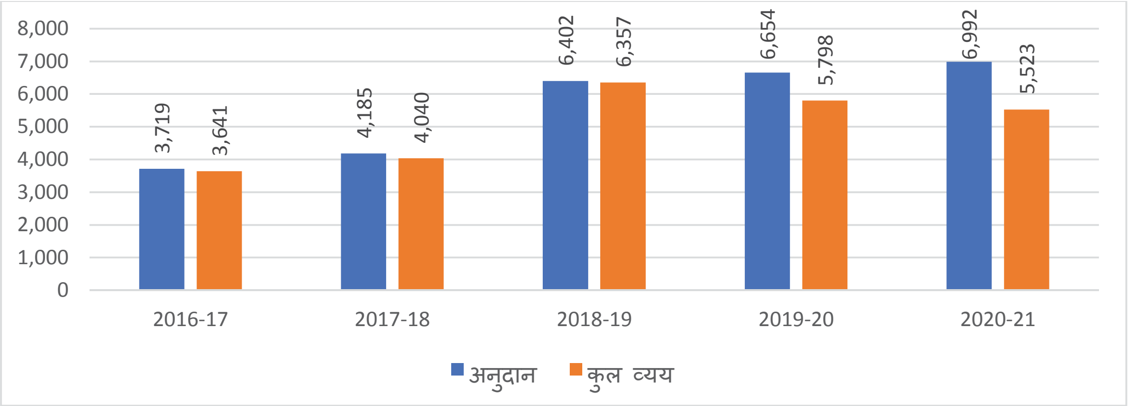

(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए एम ई आई टी वाई के वित्त और विनियोग लेखे)

2020-21 में, एम ई आई टी वाई का कुल अनुदान ₹ 6992.05 करोड़ था जो पिछले वर्ष से थोड़ा बढ़ (लगभग पाँच (5) प्रतिशत) गया था। इसी तरह 2020-21 में एम ई आई टी वाई का व्यय ₹5,523.2 करोड़ था जो पिछले वर्ष से गिरावट (लगभग पाँच प्रतिशत) दर्शाता है।

एम ई आई टी वाई के दो संलग्न कार्यालय (नामतः, एन आई सी, एस टी क्यू सी), छह स्वायत्त समितियाँ (नामतः, सी- डी ए सी, सी एम् ई टी, एन आई ई एल आई टी, एस ए एम् ई ई आर, एस टी पी आई और ई आर एन ई टी इंडिया), तीन खंड 8 कंपनियाँ [नामतः, एन आई सी एस आई, एन आई एक्स आई और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)], तीन सांविधिक संगठन (नामतः, सी सी ए, आई सी ई आर टी और यू आई डी ए आई) और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (नामतः, सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) मंत्रालय को आवंटित व्यवसाय को चलाने के लिए अपने प्रभार के तहत थीं।

1.7.1 एम ई आई टी वाई के संलग्न कार्यालयों की रूपरेखा

i. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। यह (अ) केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, (ब) राज्य क्षेत्र और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, और (स) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

ii. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

एस टी क्यू सी, वर्ष 1980 में स्थापित, अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने और आईटी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एम ई आई टी वाई के जनादेश के साथ संरेखित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आश्वासन सेवा प्रदाता है।

iii. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई), एम ई आई टी वाई के तहत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पहले, यू आई डी ए आई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के 28 जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में, 12 सितंबर 2015 को, सरकार ने यू

आई डी ए आई को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) में संलग्न करने के लिए व्यापार नियमों के आवंटन को संशोधित किया।

यू आई डी ए आई को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई डी), "आधार" नामक एक विशिष्ट पहचान जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो (अ) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, और (ब) एक आसान, किफ़ायती तरीके से प्रमाणित और सत्यापित किया जा सकता है। 31 मार्च 2021 तक, यू आई डी ए आई ने देश के निवासियों के लिए 129.04 करोड़ आधार संख्याऐं तैयार की थीं।

यू आई डी ए आई को 2021-21 के दौरान ₹756.78 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उन्होंने ₹743.78 करोड़ खर्च किए। यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण और नामांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त शुल्क के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करता है। सभी प्राप्तियां मार्च 2019 से सरकार द्वारा बनाए गए यू आई डी ए आई कोष में जमा की जाती हैं।

1.7.2 एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू)

एम ई आई टी वाई के तहत कुल चार पी एस यू हैं। 31 मार्च 2021 के अंत में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश ₹ 60.26 करोड़ था (**परिशिष्ट I** के अनुसार विवरण) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिसे पहले मीडिया लैब एशिया के नाम से जाना जाता था, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित एक 'लाभ के लिए नहीं' कंपनी है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को आई सी टी का लाभ पहुंचाना है। कंपनी के अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका और विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए आई सी टी का उपयोग शामिल है। यह एक ऐसी कंपनी है जो गारंटी द्वारा सीमित है और उसके पास कोई शेयर पूंजी नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के प्रावधानों के तहत इस कंपनी की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी गई थी। कंपनी विकास कार्य करने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ काम करती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान इसकी कुल आय ₹152.76 करोड़ (मुख्य रूप से सहायता अनुदान के कारण) थी।

ii. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई) की स्थापना 1995 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत सरकारी संगठनों को कुल आई टी समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत का आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी,

सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,356.61 करोड़ था और इसने ₹98.23 करोड़ का लाभ कमाया।

iii. सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

सार्वजनिक सेवा केंद्र (सी एस सी) योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एक विशेष प्रयोजन वाहन, सी एस सी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एम ई आई टी वाई द्वारा स्थापित किया गया है। सी एस सी एस पी वी योजना की प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, सी एस सी के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करता है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹58.26 करोड़ थी; वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व ₹1,441.81 करोड़ था और इसने ₹124.96 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

iv. सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2016 की शुरुआत में, सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विस इंडिया प्रा. लिमिटेड को ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और विश्वसनीय आई सी टी समाधान के विकास के लिए पेश किया गया था। यह पहल भारत नेट इन्फ्रास्ट्रक्चर वाई-फाई चौपाल के अंतिम छोर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो अनिवार्य रूप से एक सेवा वितरण पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करता है जिसका उपयोग निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है:

- सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
- फाइबर रखरखाव, पेशेवर टीमों के साथ जी पी ओ एन बुनियादी ढांचा।
- वाई-फाई ऑडियो/ वीडियो कॉलिंग समाधान
- ऑफ़लाइन सामग्री स्ट्रीमिंग जिसमें क्षेत्रीय और बहुभाषी सामग्री शामिल है।
- विभिन्न सरकारी संस्थानों के लिए अनुप्रयोग विकास और सहायता।

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹211.66 करोड़ था और इसने ₹13.91 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

1.8 वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)

1.8.1 आर्थिक मामलों का विभाग (डी ई ए)

डी ई ए मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता, घरेलू वित्त और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव सहित अन्य देश, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर डालने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह के लिए जिम्मेदार है। विभाग भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग का रखरखाव करता है। डी ई ए को पंद्रह कार्यात्मक प्रभागों में विभाजित किया गया

है, नामतः (i) प्रशासन और समन्वय, (ii) द्विपक्षीय सहयोग (iii) बजट, (iv) आर्थिक प्रभाग, (v) वित्तीय बाजार, (vi) मुद्रा और सिक्का, (vii) निवेश, (viii) बुनियादी ढांचा नीति और वित्त (ix)अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, (x) फंड बैंक और ए डी बी, (xi) संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थान, (xii) वित्तीय क्षेत्र में सुधार और कानून, (xiii) वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा, (xiv) सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा, (xv) सांख्यिकीय और डेटा विश्लेषण और निगरानी।

1.8.1.1 डी ई ए का अनुदान और व्यय

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डी ई ए के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति **चित्र 1.10** में दी गई है।

चित्र 1.10: डी ई ए का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)

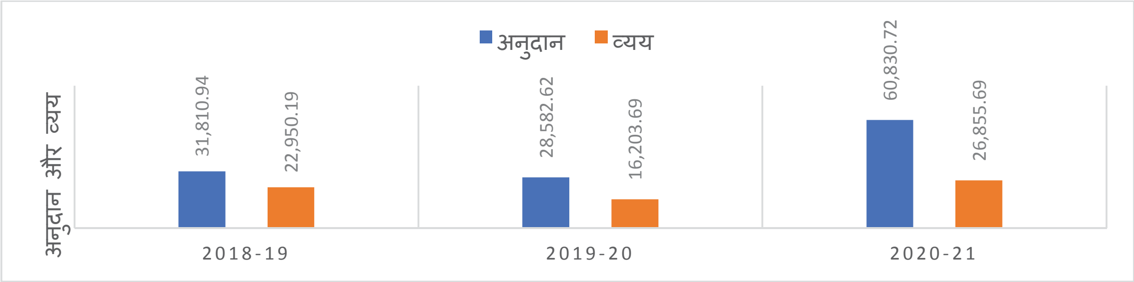

(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ई ए के विनियोग लेखे)

2020-21 में, डी ई ए का कुल अनुदान ₹60,830.72 करोड़ था जो पिछले वर्ष के दोगुने से अधिक था। यह मुख्य रूप से अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश और मुद्रा, सिक्का और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय के बढ़े हुए आवंटन के कारण था। 2020-21 में डी ई ए का व्यय ₹26,855.69 करोड़ था, जबकि 2019-20 में ₹16,203.69 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 66 प्रतिशत अधिक था, लेकिन ₹33,975.03 करोड़ की बचत विभाग में खराब बजट को दर्शाती है। यह मुख्य रूप से विभिन्न खर्चों को स्थगित करने और कोविड-19 महामारी के कारण सोने की कम जमा के कारण था।

1.8.1.2 क्षेत्र का नियामक ढांचा

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई)

एस.ई.बी.आई 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक नियामक संस्था है जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए, नियम और दिशानिर्देश तैयार करते हुए भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करना है।

एस.ई.बी.आई के बुनियादी कार्य हैं:

i. स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार के नियम।
ii. कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार का निषेध।
iii. प्रतिभूति बाजार के बिचौलियों की शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार।
iv. निवेशकों को बढ़ावा देना और बिचौलियों का पंजीकरण करना।
v. शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना।

एस.ई.बी.आई ने 2020-21 के दौरान भारत सरकार से कोई सहायता अनुदान/ सब्सिडी प्राप्त नहीं की और अपने स्वयं के संसाधनों से कार्य करने में सक्षम था।

1.8.1.3 डी ई ए के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डी ई ए के तहत चार पी एस यू हैं। 31 मार्च 2021 के अंत तक इन सार्वजनिक उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश ₹3,587.52 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

i. सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल)

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल), भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी- I कंपनी को 13 जनवरी, 2006 को मुद्रा और सिक्का प्रभाग, डी ई ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पूर्ववर्ती नौ उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, रखरखाव और संचालन के लिए निगमित किया गया था। एस पी एम सी आई एल, तकनीकी रूप से एक नई इकाई है, जिसे सुरक्षा मुद्रण और ढलाई का सदियों पुराना अनुभव है।

एस पी एम सी आई एल मुद्रा और बैंक नोट, प्रतिभूति कागज, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट और स्टेशनरी, यात्रा दस्तावेजों अर्थात पासपोर्ट और वीजा, सुरक्षा प्रमाण पत्र, चेक, बांड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, संचलन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने और चांदी का शोधन, और कीमती धातुओं की परख निर्माण / उत्पादन में लगी हुई है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹987.50 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹4,883.74 करोड़ था और इसने ₹423.81 करोड़ का लाभ कमाया।

ii. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) 1995 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है। यह भारतीय बैंक नोटों और सिक्कों की ढलाई करता है। बी आर बी एन एम पी एल देश में बैंक नोट की आवश्यकता के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है साथ ही शेष आवश्यकताओं को एस पी एम सी आई एल के माध्यम से पूरा

किया जाता है। प्रेस की वर्तमान क्षमता दो पाली के आधार पर प्रति वर्ष 16 बिलियन नोट पीस है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹1800.00 करोड़ था और वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹2,806.17 करोड़ था और इसने ₹446.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

iii. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल)

बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल) को बैंक नोट पेपर के उत्पादन के लिए एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 13 अक्टूबर 2010 को निगमित और पंजीकृत किया गया है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹800.00 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,126.46 करोड़ था और इसने ₹271.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

iv. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल)

नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल) भारत का पहला बुनियादी ढांचा विशिष्ट निवेश कोष या एक संप्रभु धन कोष है जिसे फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस कोष को बनाने के पीछे मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना था।

एन आई आई एफ टी एल तीन कोषों का प्रबंधन करता है: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक फंड। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाकर भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए फंड की स्थापना की गई थी। कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹0.02 करोड़ है और कंपनी का कुल राजस्व वर्ष 2020-21 के दौरान ₹0.22 करोड़ था और इसने ₹0.05 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

1.8.2 व्यय विभाग (डी ओ ई)

डी ओ ई केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए नोडल विभाग है। यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों/ टिप्पणियों की निगरानी, केंद्र सरकार के लेखों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने, सार्वजनिक व्यय के आउटपुट और परिणामों को अनुकूलित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा करने में सहायता करता है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों में वित्तीय सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की निगरानी करना और वित्तीय नियमों/ विनियमों/ आदेशों का प्रशासन, प्रमुख

योजनाओं/ परियोजनाओं का पूर्व-स्वीकृति मूल्यांकन, बड़ी मात्रा में राज्य को हस्तांतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित है।

1.8.2.1 डी ओ ई का अनुदान और व्यय

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डी ओ ई के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति **चित्र 1.11** में दी गई है।

चित्र 1.11: डी ओ ई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)

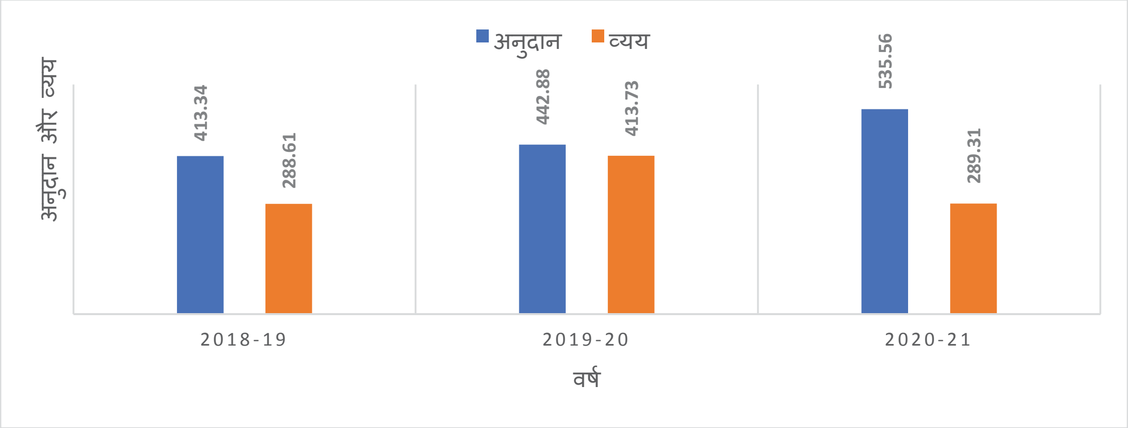

(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ओ ई के विनियोग लेखे)

2019-20 के लिए ₹442.88 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान ₹535.56 करोड़ था, जबकि 2019-20 के दौरान ₹413.73 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए व्यय ₹289.31 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में डी ओ ई के अनुदान में मामूली वृद्धि हुई थी जबकि व्यय में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई थी। विभाग ने कम दौरे, कंप्यूटर/ सॉफ्टवेयर की खरीद न होने, कोविड-19 महामारी के कारण सलाहकारों की कम भर्ती और लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) कार्यालय द्वारा नए भवन को किराए पर लेने में देरी के कारण शीर्ष में बचत को जिम्मेदार ठहराया।

1.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)

एम् ओ एस पी आई भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो जारी किए गए आंकड़ों के कवरेज और गुणवत्ता पहलुओं से संबंधित है। मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों पर आधारित हैं। सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 15 अक्टूबर 1999 को मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय के दो स्कंध हैं, एक सांख्यिकी से और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ) नामक सांख्यिकी स्कंध में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) शामिल हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के तीन प्रभाग हैं, अर्थात् (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) अवसंरचना निगरानी

और परियोजना निगरानी और (iii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो स्कंधों के अलावा, भारत सरकार के एक प्रस्ताव (एम् ओ एस पी आई) और एक स्वायत्त संस्थान, नामतः भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है, के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एम् ओ एस पी आई के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति **चित्र 1.12** में दी गई है। 2019-20 के लिए ₹5,231.06 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान ₹5,444.02 करोड़ था, जबकि 2019-20 के दौरान ₹4,919.30 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए व्यय ₹2,438.22 करोड़ था। 2020-21 में एम् ओ एस पी आई के अनुदान में पिछले वर्ष से मामूली वृद्धि हुई थी जबकि व्यय पिछले वर्ष के आधे से भी कम हो गया था। यह कुछ राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू होने, जिला प्रशासन से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और कोविड-19 महामारी के कारण एम ओ एफ द्वारा एम पी एल ए डी एस योजना के निलंबन के कारण इस मद में बचत के कारण था।

चित्र 1.12: एम ओ एस पी आई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)

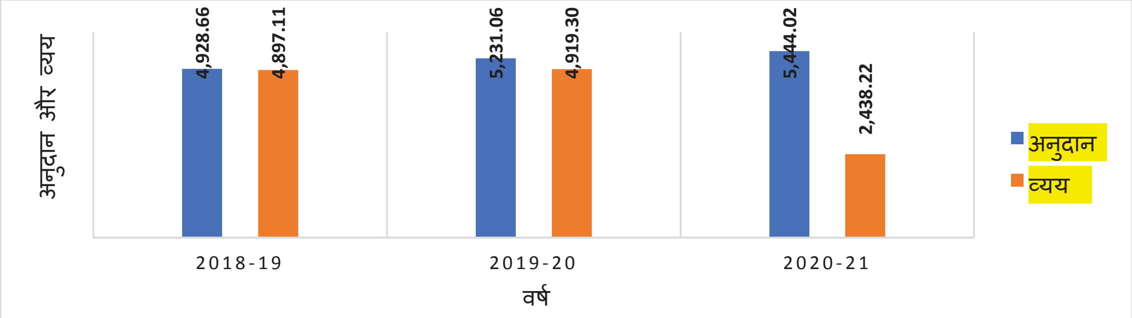

(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ओ ई के विनियोग लेखे)

1.10 लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूलियां

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, सभी मंत्रालयों और सी पी एस ई/ ए बी में निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹3,822.80 करोड़ की वसूली को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। इसमें से विभागों/ लेखापरीक्षा इकाइयों ने ₹3,140.85 करोड़ की वसूली स्वीकार की और ₹250.66 करोड़ की वसूली की।

1.11 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया पैराग्राफ की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, मसौदा पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की

ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किए जाते हैं और उनसे छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय II से VII में दर्शाए गए 13 पैराग्राफ में से मार्च 2022 के अंत तक तीन (3) का उत्तर नहीं भेजा। शेष पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है और प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल)

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने वांछित किया कि मार्च 1994 और 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित एक्शन टेकन नोट्स (ए टी एन) को तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसित किया कि आगे मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर ए टी एन संसद में प्रतिवेदनों को रखे जाने के चार महीने के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित उन्हें प्रस्तुत किया जाए।

इसके अलावा, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद में प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में सिफारिश की कि उपचारात्मक कार्रवाई करने और पी ए सी को ए टी एन जमा करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच किए गए सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से ए टी एन के समन्वय और संग्रह का कार्य सौंपा गया है और उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

दिसंबर 2021 तक केंद्र सरकार (संचार और आई टी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि एम ओ सी, एम ई आई टी वाई, एम ओ एफ और एम ओ एस पी आई से संबंधित 48 पैराग्राफों के संबंध में ए टी एन विभिन्न चरणों में लंबित थे। वर्षवार विवरण **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (वाणिज्यिक)

सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए लेखों और अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया (जुलाई 1985) कि वे सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न अनुच्छेदों/ मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाने वाली टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) प्रस्तुत करें, जैसा कि संसद के दोनों सदनों में रखा गया है। ऐसी टिप्पणियों को उन अनुच्छेदों/ मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था जिन्हें विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (सी ओ पी यू) द्वारा नहीं चुना गया था।

सचिवों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया (जून 2010) कि सी ए जी लेखापरीक्षा पैराओं और सी ओ पी यू सिफारिशों पर लंबित ए टी एन/ ए टी आर को अगले तीन महीनों के भीतर निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस निर्णय से अवगत कराते हुए (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

दिसंबर 2021 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल एम ओ सी और एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पी एस यू से संबंधित ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 तक 78 पैराओं के संबंध में ए टी एन लंबित थे जैसा कि **परिशिष्ट III** में वर्णित है।

1.14 संचार मंत्रालय/ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय के स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों (ए बी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के संबंध में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए लेखा प्रस्तुत करने, प्रमाणन और संसद में प्रस्तुत करने में देरी के कारणों के साथ स्थिति आदि का विवरण **परिशिष्ट IV** में दिया गया है।